<u>न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर।</u>

उपस्थित श्री हरकेश , एच0जे0एस

गार्जियन वार्डस वाद संख्या–01 सन 2017

अंजीत कुमार आयु करीब–32 वर्ष पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम बाँहपुर, डा0 खास, परगना व तहसील–स्याना, जिला–बुलन्दशहर।

.....प्रार्थी।

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती माया देवी आयु करीब–55 वर्ष पत्नी स्व0 सुरेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम बाँहपुर, डा0 खास, परगना व तहसील–स्याना,जिला–बुलन्दशहर।
2. ब्रहम सिंह आयु करीब–60 वर्ष पुत्र भूरे सिंह, निवासी–ग्राम जलालाबाद, डा0 जलालाबाद, परगना व तहसील–गाजियाबाद, जिला–गाजियाबाद।

.....विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी, अंजीत कुमार की ओर से अन्तर्गत धारा–9 गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट अधिनियम 1890 के तहत अवयस्क/दिव्यांग सुमित का संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी का यह कथन है कि वह सुमित कुमार का बडा भाई है, जो मूक बधिर/दिव्यांग है। विपक्षीगण उसकी कृषि भूमि स्थित ग्राम बांहपुर, परगना व तहसील–स्याना, जिला–बुलन्दशहर को अवैधानिक व अवैध रूप से अपने कब्जे में लिये हुए हैं और उससे होने वाली आय का पर्याप्त हिस्सा सुमित को नहीं देते हैं और उसका मानसिक व शारीरिक शोषण करते हैं। प्रार्थी व अपर्याप्त व्ययों के माताजी व पिताजी का देहान्त पहले ही हो गया है। उसके मूक बधिर/दिव्यांग भाई की देखभाल करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अतः उसे सुमित का संरक्षक नियुक्त किया जाए।

विपक्षीगण की ओर से 26ए.1 प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया है कि सुमित जन्म से ही दिव्यांग व मूक बधिर है। विपक्षी संख्या–1 सुमित की सगी ताई व विपक्षी संख्या–2 सगा मामा है। विपक्षीगण काफी वृद्ध हैं तथा सुमित की देखभाल नहीं कर सकते हैं और न ही उसका पालन–पोषण कर सकते हैं। विपक्षीगण को अंजीत कुमार के सुमित दिव्यांग व मूकबधिर का संरक्षक नियुक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है और न ही सुमित की कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है।

प्रलेखीय साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से सूची–34सी.1 से कागज संख्या–35सी.1 सुमित के जन्म प्रमाणपत्र की मूल, कागज संख्या–36सी.1 वारिसान प्रमाणपत्र, कागज संख्या–37सी.1 महेन्द्र सिंह के मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल, कागज संख्या–38सी.1 विनोद देवी के मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल, कागज

संख्या–39सी.1 सुमित के विकलाँगता प्रमाणपत्र की मूल, कागज संख्या–40सी.1 परिवार रजिस्टर की नकल प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में ए 0पी0डब्लू0–1 डाक्टर रोहताश व ए0पी0डब्लूत0–2 अजीत कुमार का बयान हुआ है।

उपरोक्त केस में मुनादी वगैरह करायी गयी तथा प्रकाशन कराया गया। अन्य किसी व्यक्ति ने अंजीत कुमार को सुमति का संरक्षक नियुक्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

मैने पक्षकारों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का कथन है कि सुमित दिव्यांग/मूक बधिर है। माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह सुमित का सगा भाई है, वह ही उसकी देखभाल कर रहा है। यह तथ्य प्रदर्शित करने के लिए कि प्रार्थी व सुमित के माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु प्रमाणपत्र कागज संख्या–37सी.1 व 38सी.1 दाखिल किये गये है, जिसके अनुसार उसके पिता महेन्द्र सिंह व माता विनोद देवी की मृत्यु हो चुकी है। पी0डब्लू0–1 डाक्टर रोहताश कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या–39सी.1 सुमित के विकलाँगता प्रमाणपत्र को साबित किया है। उक्त विकलाँगता प्रमाणपत्र में सुमित को 75 प्रतिशत विकलाँग दर्शित किया गया है। पी0डब्लू0–2 ने अपने बयानों में सुमित को अपना सगा छोटा भाई होना व उसको कुछ भी सुनाई न देना, हाथ–पैर से अपंग होना, शरीर में कम्पन्न होना व दिमाग का काम न करना बताते हुए दिव्यांग होना कहा है। यह भी कथन किया है कि सुमित उसके पास ही रहता है और वह ही उसकी देखभाल व रहन–सहन, बीमारी आदि का ध्यान रखता है। विपक्षीगण की ओर से प्रतिवादपत्र कागज संख्या–26ए.1 प्रस्तुत करते हुए सुमित को जन्म से ही दिव्यांग व मूक बधिर होना तथा विपक्षी संख्या–1 सुमित की सगी ताई व विपक्षी संख्या–2 सगा मामा होना कहा है। यह भी कहा है कि विपक्षीगण काफी वृद्ध हैं तथा सुमित की देखभाल नहीं कर सकते हैं और न ही उसका पालन–पोषण कर सकते हैं। उनको अंजीत कुमार के दिव्यांग व मूकबधिर सुमित का संरक्षक नियुक्त होने में कोई आपत्ति नहीं है और न ही सुमित की कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है। इस प्रकार से जो साक्ष्य आयी है उसमें सुमित को दिव्याँग/मूक बधिर होनेा व प्रार्थी अंजीत कुमार के पास ही रहना बताया गया है तथा अंजीत कुमार को सुमित का संरक्षक नियुक्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गयी है,अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थी अंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4ए.1 स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी अंजीत कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र–4ए1 वास्ते नियुक्त किये जाने संरक्षक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अंजीत कुमार को दिव्यांग/मूक बधिर सुमित पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह, निवासी–ग्राम बांहपुर, डा0 खास, जिला–बुलन्दशहर का संरक्षक नियुक्त किया जाता है।

दिनाँक–05.02.2020

(हरकेश कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनाँकित कर खुले न्यायालय में उद्घोशित किया गया।

दिनाँक–05.02.2020

(हरकेश कुमार)
अपर जिला न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर।